Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09.03.2019	**आज यह प्रकरण नेशनल लोक अदालत खण्ड पीठ कमांक 08 के समक्ष पेश किया गया।** परिवादी की ओर से कार्यपालन यॅत्री, म.प्र.म.क्षे.वि.मं.पिपरिया उप0। अभियुक्त **उपस्थित/अनुपस्थित।** इस स्तर पर परिवादी की ओर से कार्यपालन यॅत्री, म.प्र.म.क्षे.वि.मं.पिपरिया द्वारा धारा 152 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत राजीनामा आवेदन पेश किया गया। आवेदन पत्र पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन विधिवत् प्राधिकृत/सक्षम प्राधिकृत नोडल अधिकारी कार्यपालन अभियंता (संचालन/संधारण) मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र पिपरिया द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी की ओर से धारा 135 एवं 138 वि.अधि. 2003 के अंतर्गत परिवाद पेश किया गया है। उक्त अपराध धारा 152 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत शमन योग्य है। अभियुक्त द्वारा नियमानुसार क्षतिधन रूपये तथा समझौता राशि जमा की जा चुकी है, जिसकी रसीद प्रकरण में संलग्न है एवं जिसे विधिवत् प्राधिकृत नोडल अधिकारी द्वारा शमन राशि के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र अभियुक्त के संबंध में यह प्रथम आवेदन पत्र है। अतः आवेदन पत्र विधि अनुकूल होने से बाद तस्दीक स्वीकार किया जाता है तथा **अभियुक्त** को धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 के **आरोप से दोषमुक्त** किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति पेश/पेश नहीं। प्रकरण का परिणाम विशेष विद्युत प्रकरण पंजी में दर्ज किया जाकर प्रकरण निश्चित समयावधि में अभिलेख कोष्ठ पिपरिया में जमा किया जावे। जारी स्थायी वारंट अथवा तामील वापस बुलाया जावे। अधिवक्ता सदस्य — पीठासीन अधिकारी [signature] (बालमुकुन्द पचौरी) खण्डपीठ सदस्य तहसील पिपरिया [signature] (आदेश कुमार जैन) वि.न्या.वि.अधि.पिपरिया ने.लो.अदा.खंड पीठ क. 08 जिला होशंगाबाद (म0प्र0)	[signature]

Scanned by CamScanner